

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय के लेखों के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : 31-12

उपरोक्त व्यय का नाम : श्री. को.प्र. पा. 414911

परिणाम की घोषणा की तारीख : 23.12.2019

उपरोक्त व्यय से निर्वाचन लड़ा गया : 15.12.2019 (21-जा.)

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

निर्वाचन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

2			3	4	5	6	7	8	9
व्यय की प्रकृति			कुल राशि, रु० में (भुगतान किया गया बाकाया)	आदाता का नाम और पता	दिल सं०/ वाउचर सं० और तारीख	अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनीतिक दल का नाम	अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि(पूरा नाम और पता लिखें)	टिप्पणी यदि कोई हो
विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							
भा.ज.र. 22114	1	1	5000	भा.ज.र. कार्यालय					
भा.ज.र. 22114	1	1	3000	भा.ज.र. कार्यालय					
भा.ज.र. 22114	1	1	1000	भा.ज.र. कार्यालय					
			9,000						

निश्चित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

Fauzdar Kumar
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

2/10/2012

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय के लेखों के एक-एक
 अभ्यर्थी का नाम : राजनीतिक दल का नाम यदि कोई है
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया : परिणाम की घोषणा की तारीख
 निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता : उपगत/प्राधिकृत मुख कार्यालय

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की तारीख तक का)

1 व्यय/ घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि ₹ में (सुगतान किया गया- वाक्या)	4 आदात का नाम और पता	5 दिन सं०/ मास/वर्ष सं० और तारीख	6 अभ्यर्थी का लगाए निर्वाचन एजेंट का नाम/पता क्या है	7 प्रमाणित किया गया है/नहीं है
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर					
	<i>Checked</i>							
	<i>① Ledger, Cash Book and Bank</i>							
	<i>Registers is Complete</i>							
	<i>②</i>							
	<i>③</i>							
	<i>④</i>							
	<i>⑤</i>							
	<i>⑥</i>							
	<i>⑦</i>							
	<i>⑧</i>							
	<i>⑨</i>							
	<i>⑩</i>							

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लेख 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणित)